न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0 ।

नि0 1981-II/16

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह एड0 रीवा द्वारा आज दि0 23-6-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 23-6-16

1- कुशीलाल पटेल तनय स्व0 माधौ पटेल निवासी ग्राम उल्ही कला तह0 मनगवां जिला रीवा म0प्र0 ।

2- समयलाल पटेल पिता स्व0 माधव पटेल निवासी ग्राम उल्ही कला तह0 मनगवां जिला रीवा म0प्र0

--------- निगरानी कर्ता / आवेदकगण।

बनाम

1- जगन्नाथ पटेल पिता परमेश्वरदीन पटेल

2- उदय पटेल पिता ठाकुरदीन पटेल

3- रामखेलावन पिता ठाकुरदीन पटेल

4- कुंज बिहारी पटेल पिता काशी पटेल

5- राममिलन पिता जगन्नाथ पटेल

------ सभी निवासी ग्राम उल्ही कला तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0

----- गैर निगरानी कर्ता/ अना0गण ।

22-6-16

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मनगवां के अपील प्र0क्र023अ27/2015-16 पारित आदेश दिनांक 19-05-16 .

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

कुशीलाल पटेल

क्र0-----

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1981–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06–9–2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 23/अ27/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 19–5–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि प्रकरण दिनांक 17–3–16 को अदम पैरवी में खारिज होने के बाद आवेदकगण ने अस्वस्थ्य होने एवं अभिभाषक अन्य न्यायालय में व्यस्त होने संबंधी तर्कों के साथ आवेदन दिया जिसपर अनुविभागीय अधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हुये आवेदक द्वारा तर्क के समर्थन में मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तथा आवेदक अधिवक्ता तहसील कार्यालय में ही वकालत करते हैं वे प्रकरण में आगे–पीछे उपस्थित हो सकते थे। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन समय–सीमा से बाहर होने से प्रकरण खारिज किया गया। अदम पैरवी में खारिज हुये प्रकरण के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण भी समय–सीमा एवं बिना दस्तावेजी प्रमाण के प्रस्तुत किये जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण को समय–सीमा के बाहर मानकर खारिज किया है जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। अतः इस निगरानी में ग्राह्यता के आधार प्रकट नहीं हो से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (के0सी0 जैन) सदस्य	